

अध्याय-6 (Vol-2)

संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन

प्रस्तावना:

- वर्ष 2019 में संधारणीय विकास हेतु एजेंडा-2030 और पेरिस समझौते को अपनाए हुए 4 वर्ष पूरे हो गए हैं।
- भारत संधारणीय विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) के कार्यान्वयन के लक्ष्यों पर आगे बढ़ रहा है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का श्रेणी निर्धारण 16 SDG लक्ष्यों के अंतर्गत इनके संपूर्ण कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है।
- SDG प्राप्तांक 0 से 100 अंकों तक की सीमा में होते हैं।
 - 100 अंकों के प्राप्तांक का अभिप्राय है कि ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2030 के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं।
 - 0 प्राप्तांक का अभिप्राय है कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तालिका में सबसे नीचे है।

भारत और संधारणीय विकास लक्ष्य:

- योजनाओं की एक व्यापक व्यवस्था के कार्यान्वयन द्वारा भारत संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक समग्रतामूलक अवधारणा का अनुसरण करता है। संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDG) की दशा में की गई प्रगति का आकलन एसडीजी इंडिया इंडेक्स-2019 द्वारा किया गया है।
- समग्र रूप में यह देखा गया है कि भारत के लिये समग्र प्राप्तांक वर्ष 2018 में 57 से सुधरकर वर्ष 2019 में 60 हो गया है।
- लक्ष्य प्राप्त करने की दशा में यह धनात्मक छलांग पाँच लक्ष्यों जैसे- SDG-6 (स्वच्छ जल स्वच्छता), SDG-7 (वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा), SDG-9 (उद्योग, नवीकरणीय और अवसंरचना), SDG-15 (भूमि पर जीवन) तथा SDG-16 (शांति, न्याय एवं सामाजिक संस्थाएँ) के अंतर्गत देशव्यापी कार्यान्वयन द्वारा व्यापक रूप से प्रेरित है जहाँ भारत द्वारा 65 और 99 के बीच अंक हासिल किये गए हैं।
- वही दो लक्ष्यों जिनमें समग्र प्राप्तांक 50 से नीचे है उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इनमें शामिल है: SDG-2 (भूख के स्तर को शून्य पर लाना) और SDG-5 (लैंगिक समानता)
- समग्र रूप में देश का प्राप्तांक 50 और 64 के बीच है जिसमें आगामी वर्षों में सुधार हो सकता है।

SDG गठजोड़: एक नदिर्शी उपागम

- नेक्सस या गठजोड़ दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों एवं पैमानों पर प्रबंधन व शासन को एकीकृत करने पर बल प्रदान करता है।
- यह एप्रोच व्यक्तिगत घटकों या अल्पकालिक परिणामों के बजाय पूरी व्यवस्था के आत्मावलोकन की आवश्यकता पर बल देती है अन्य क्षेत्रों से अंतर-संबंधित फीडबैक को देखने और दुर्लभ संसाधनों के लिये प्रतिसिपर्द्धा को कम करते हुए क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है।

चुनदा क्षेत्रों में नेक्सस के नमिनलखिति उदाहरण हैं:

- शिक्षा एवं वदियुत का संबंध: वदियालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के संबंध में बजिली बुनयादी ढांचे की आवश्यकताओं का एक अहम हसिसा है। यह देखा गया है कि बजिली की सहायता से वदियालयों को आधुनिक तरीकों एवं शिक्षण तकनीकों तक पहुँच से छात्रों के समग्र विकास में मदद मिलती है और अधगम के प्रतउनका आकर्षण बढ़ता है।
- स्वास्थ एवं ऊर्जा क्षेत्र: बहुत सी स्वास्थ सुधार योजनाएँ-बाल चकितिसा देखभाल, आपातकालीन सेवाएँ और सफल टीकाकरण प्रदान करना स्वास्थ केंद्रों में बजिली की उपलब्धता पर बहुत अधिक निर्भर करती है।

जलवायु परिवर्तन:

- भारत द्वारा देश की विकासात्मक आवश्यकताओं/अनविर्यताओं को ध्यान में रखते हुए पेरिस समझौते के तहत 'सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार' पर अपना 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (Nationally Determined Contribution-NDC) प्रस्तुत किया गया।
- NDC में भारत ने वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2030 तक अपनी GDP में उत्सर्जन की तीव्रता के स्तर को 33 से 35% कम करने तथा वर्ष 2030 तक कूल बजिली उत्पादन स्थापित क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने और इसके वन एवं वृक्ष आच्छादन को बढ़ाकर 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन-डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिये कार्बन सकि क्षमता निर्माण का वादा किया है।

भारत की जलवायु परिवर्तन नीतियों में प्रगति:

- भारत द्वारा वर्ष 2008 में प्रारंभ जलवायु परिवर्तन पर 'राष्ट्रीय कार्य योजना' (NAPCC) कई ऐसे उपायों की पहचान करती है जो संकेंद्रित राष्ट्रीय मशीनों के माध्यम से देश के विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन एवं शमन उद्देश्य को आगे बढ़ाती हैं।
 - यह योजना महत्त्वपूर्ण अनुकूलन आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और वैज्ञानिक ज्ञान एवं तत्परता के निर्माण के लिये भी बनाई गई थी क्योंकि जलवायु परिवर्तन मौजूदा सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों को बगिड़ते हुए अतिसंवेदनशील वर्गों के लिये 'जोखिम गुणक' के रूप में कार्य करती है।
- भारत ने पेरिस समझौते के तहत NDC के अनुरूप NAPCC को संशोधित करने का फैसला किया है ताकि इसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संदर्भ में अधिक व्यापक बनाया जा सके। इसके लिये नमिनलखित राष्ट्रीय मशीनों के तहत कार्य किया जा रहा है जो इस प्रकार है:
 - राष्ट्रीय सौर मशिन
 - राष्ट्रीय जल मशिन
 - हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मशिन
 - राष्ट्रीय संधारणीय आवास मशिन
 - संधारणीय कृषि के लिये राष्ट्रीय मशिन
 - हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को सपोषित करने के लिये रक्षोपाय के लिये उपयुक्त प्रबंधन एवं नीतित उपाय विकसित करना है।
 - जलवायु परिवर्तन के लिये रणनीतिक ज्ञान संबंधित राष्ट्रीय मशिन के अंतर्गत एक ऐसा ज्ञानतंत्र सृजित करने की कोशिश की जाती है जो पारिस्थितिकीय रूप से संधारणीय विकास सूचित करेगा और उसमें सहायता करेगा।

वित्तीय प्रणाली के साथ संधारणीयता को एकरूप करना:

- दिसंबर 2007 में RBI ने भारत के बैंकों को विविध अंतरराष्ट्रीय पहल की तरफ सुग्राही बनाया तथा उन्हें कहा गया कि वे स्वयं को संधारणीयता के क्षेत्र में विकास के साथ ले चले और ऐसे विकास के आलोक में अपनी उधार देने वाली कार्य नीतियों/योजनाओं का क्रमवेशन करें।
- वर्ष 2012 में भारतीय प्रतभूत विनियम बोर्ड (सेबी) ने वार्षिक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग (ए.बी.आर.आर.) का ढाँचा जारी किया। यह एक रिपोर्टिंग ढाँचा है जो कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा व्यापार के सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों पर जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
- वर्ष 2011 में भारतीय कोर्पोरेट कार्य संस्थान ने कोर्पोरेट क्षेत्र द्वारा अंगीकार करने के लिये NVG (National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business) नामक संकल्पना विकसित की। सेबी ने बैंकों सहित सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को NVG को अंगीकार करने का आदेश दिया।
- वर्ष 2014-15 में भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा उत्तरदायित्व पूर्ण वित्तीयन की संकल्पना सृजित करने के लिये एक कार्यकारी समूह की स्थापना की। कार्यकारी समूह ने 'उत्तरदायित्व पूर्ण वित्तीयन के लिये NVG दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया।
- इन दिशा-निर्देशों ने 8 सदिधांत निर्धारित किये हैं जो सूचित व्यावसायिक कार्यों के विविध पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन उत्तरदायित्वों के पहलुओं को दर्शाते हैं।
- हरित बॉण्ड (ग्रीन बॉण्ड) ऋण प्रतभूत होते हैं जो सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जारी किये जाते हैं जहाँ आय का 100% उपयोग हरित परियोजनाओं और अस्तियों के वित्तपोषण के लिये किया जाता है।
- वर्ष 2019 के पूर्वार्ध में संधारणीयता/एस डी जी बॉण्डों ने यू.एस. \$ 10.3 बिलियन के लेन-देन के साथ व्यापक लेबल बाज़ार में अपना स्थान सुरक्षित बनाए रखा है।
- सामाजिक बॉण्डों ने भी लेबल बाज़ार में यू.एस. \$ 5.5 बिलियन जारी करके अपनी दृश्यता बरकरार रखी।
- पर्यावरणीय रूप से संधारणीय निवेश में प्रवर्द्धन के लिये भारत ने अक्टूबर, 2019 में अंतरराष्ट्रीय संधारणीय वित्तपोषण मंच में भाग लिया है। यह मंच वित्तीय बाजारों की वैश्विक प्रकृति की स्वीकृति देता है जिसमें नधियन के वैश्विक स्रोत वित्त संबंधी आवश्यकताओं को मिला कर हरित, नमिन कार्बन एवं जलवायु प्रतयास्थी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिये वित्तीय सहायता करने में सक्षम हो।

भारत और COP-25:

- UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 25वाँ सत्र चिली की अध्यक्षता में मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया।
- भारत ने पेरिस समझौते को क्रियान्वित करने तथा जलवायु परिवर्तन का सामूहिक रूप से सामना करने के अपने संकल्प को दोहराया जिसमें औचित्य एवं सामान्य सदिधांतों पर विचार करना, परंतु उत्तरदायित्वों एवं संबंधित क्षमताओं में अंतर करना शामिल है।
- COP-25 के अंतिम नरिण्यों में शीर्षक 'चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन' में उन अनुवर्ती चुनौतियों पर बल दिया है जिसका सामना विकासशील देश वित्तीय प्रौद्योगिकीय एवं क्षमता निर्माण सहायता के नरिधारण के दौरान करते हैं तथा अपने राष्ट्रीय अनुकूलन एवं न्यूनिकरण प्रयासों को मजबूत करने के लिये विकासशील देशों की सहायता करने के प्रावधान में वृद्धि करने की अत्यावश्यक जरूरत की पहचान करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल:

(a) अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन:

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) पहला संधिआधारित अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है।
- ISA का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन यूएस डालर की राशि जुटा कर सदस्य देशों की मांगों के लिये भावी सौर ऊर्जा उत्पादन, भंडारण एवं प्रौद्योगिकियों के लिये रास्ता प्रशस्त करना है।

(b) आपदा सहाय आधारिक संरचना के लिये समूह:

- भारत द्वारा सितंबर 2019 में आयोजित यूएन महासचिव की जलवायु कार्रवाई सम्मेलन के दशिया-नरिदेशों पर आपदा सहाय आधारिक संरचना (CDRI) के लिये समूह बनाया है।
- CDRI का लक्ष्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं पेरसि जलवायु समझौते के लिये सेंदाई ढाँचे के अनुरूप कार्य करते हुए मूल सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम का वसितार करने के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा एसडीजी को सक्रम बनाना है।
- राष्ट्रीय सरकारों यूएन एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, नजी क्षेत्र एवं ज्ञान आधारित संस्थाओं की यह अंतरराष्ट्रीय भागीदारी जलवायु एवं आपदा जोखिमों के लिये नए एवं मौजूदा आधारित संरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देगी जो संधारणीय विकास को सुनिश्चित करने में मददगार करने में साबति होगी।


भारत और यूएनसीसीडी:

- भारत ने 2-13 सितंबर, 2019 के मध्य मरूसथलीकरण से नपिटने के लिये COP-14 के सत्र की मेजबानी की।
- इस अवसर पर 'भूमिबिचाओ भवषिय बचाओ' के नारे के साथ COP-14 के सम्मेलन की परकिल्पना की गई।
- इस सम्मेलन में भारत ने कहा किमानवीय क्रयिकलापों के कारण पर्यावरण बदलाव, भूमिअवक्रमण और जैव विविधता की क्षति में तीव्रता आई है। अतः मज़बूत इरादे एवं प्रौद्योगिकी का सही उपयोग करते हुए इसकी भरपाई की जा सकती है।
- UNCCD में एक पक्षकार के रूप में भारत ने स्वैच्छिक रूप से परतबिद्धता जाहरि की है किभूमिक्षरण की स्थिति की ठीक करने के लिये अब से वर्ष 2030 के बीच 21 मिलियन से 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को इस स्थिति से बाहर निकाला जाएगा।

भारत और इसके वन:

- विश्व में भारत उन देशों में शामिल है जहाँ विकास कार्यों के बावजूद वन क्षेत्र में वृद्धिसकारात्मक रूप से बढ़ी है।
- वलितान वृक्ष की संख्या के संदर्भ में अतासघन वन (VDF) का क्षेत्र 99,278 वर्ग कि.मी. (3.02%) है, मध्यम सघन वन (MDF) का क्षेत्र 3,08,472 वर्ग कि.मी. (9.39%) और खुले वन (OF) का क्षेत्र 3,04,499 वर्ग कि.मी. (9.26%) है।
- वर्ष 2019 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,12,249 वर्ग कि.मी. है जो किदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67 प्रतिशत है।
- जनि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धादरज की गई है उनमें शामिल है- कर्नाटक (1,025 वर्ग कि.मी.), आंध्र प्रदेश (990 वर्ग कि.मी.), केरल (823 वर्ग कि.मी.) और जम्मू एवं कश्मीर (371 वर्ग कि.मी.) है।
- जबकि भिणपिर, अरुणाचल प्रदेश और मज़ोरम राज्यों के वन क्षेत्रों में कमी देखने को मलि है।
- भारत, विश्व में 17 अताजैव विविधता वाले देशों में से एक है। यह जैव विविधता से संबंधित **शैनन-वीनर इंडेक्स** (Shannon-Wiener index of diversity) में परदर्शित होता है जिसका प्रयोग प्रचुर एवं पर्याप्त प्रजातीय वर्गों के मापन के लिये किया जाता है।
- इस इंडेक्स से यह पता चलता है किउषणकटबिंधीय सदाबहार वन केरल के बाद कर्नाटक में अधिक है। उषणकटबिंधीय आर्द्र पतझड़ी वन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अधिक है। उषणकटबिंधीय शुष्क पतझड़ी वन अरुणाचल प्रदेश में अधिक है और अर्द्ध-सदाबहार वन कर्नाटक में अधिक है। उषणकटबिंधीय तटीय और दल-दल वन उत्तर प्रदेश में अधिक है और उषणकटबिंधीय काँटेदार वन व्यापक रूप से आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है।

चित्र 16: वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में वर्ष 2019 में वन के कार्बन स्टॉक में निवल परिवर्तन (प्रतिशत में)



स्रोत: भारत का वन स्थिति रिपोर्ट, 2019

- वन रिपोर्ट 2019 में वन में कुल कार्बन स्टॉक 7,124.6 मिलियन टन के रूप में आँका गया है। वर्ष 2017 के पछिले आँकलन की तुलना में देश के

कार्बन स्टॉक में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

- भारत में कार्बन स्टॉक का नविल परिवर्तन यह दर्शाता है कि नविल परिवर्तन सबसे अधिक मृदा जैव कार्बन में है उसके बाद भूमिके ऊपर बायोमास एवं सूखी लकड़ियों में है।
- वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में अपशष्टि कार्बन में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है।

फसल अवशष्टिों का जलाया जाना: एक बड़ी चर्चा

- खेतों में फसल (कृषि) अपशष्टिों को जलाया जाना एक ऐसा कार्य है जिससे पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
- शहरी मानकों पर किये गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि अपशष्टिों को जलाने से शहरी क्षेत्रों में 2.5 PM की सांद्रता में अहम वृद्धि होती है।
- इस समस्या के समाधान के लिये विभिन्न सुझाव दिये गए हैं जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं:
 - चावल, गेहूँ, मक्का आदि जैसे नमिन लगिनोसेलुलोसिक फसल अवशेषों के साथ कृषि के संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देना।
 - फसल अवशेष की बिक्री के लिये बाजारों का सृजन किया जाए और ताप वधित संयंत्रों में कोयले के साथ फसल अवशेषों को जलाना अनिवार्य किया जाए।
 - कृषि उपकरणों के लिये वित्तपोषण एवं नज्जी क्षेत्र की भागीदारी के लिये कार्यशील पूंजी हेतु विशेष क्रेडिट लाइन बनाने की आवश्यकता है।
 - वैकल्पिक ईंधन के रूप में स्थानीय उद्योगों, ईट भट्टा और होटल/ढाबा में फसल अवशेष आधारित ईंधन उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
 - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन और आवंटन का नरिणय करते समय प्रदूषण नरिंत्रण को एक पैरामीटर के रूप में रखा जाए।
- इस संबंध में राष्ट्रीय हरति अधिकरण द्वारा वर्ष 2015 में दशिया-नरिदेश जारी किये गए कियेदिल्ली के NCT (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के तहत राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसी भी हसिसे में फसल अवशष्टिों को जलाया जाता है तो यह अधिकरण के नरियमों का उल्लंघन होगा तथा व्यक्ती एवं नकिया पर्यावरण क्षतपूरति का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

भावी परदृश्य:

- भारत भली-भाँती इस बात से परचिति है कि संधारणीयता के लिये कार्रवाई किया जाना मानवता से नरिविदति रूप से संबंधिति है।
- भारत अपनी राष्ट्रीय कार्य सूची में एसडीजी को दर्शाता है और इसकी नीतियाँ वकिस के तीन स्तंभों (आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण) के मध्य संतुलन सुनश्चिति करती हैं।
- एसडीजी को सभी स्तरों पर प्रशासन, मॉनीटरगि और कार्यान्वयन के उच्च मानकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये सहकारी संघीय व्यवस्था की भावना के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकारें उस परिवर्तन के लिये कदम से कदम मलिा कर चल रही हैं जिसकी भारत को आवश्यकता है।